



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042020-219024
CG-DL-E-08042020-219024

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]
No. 185]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2020/चैत्र 19, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2020/CHAITRA 19, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2020

सं 3/2020-एकीकृत कर

सा. का.नि. 242(अ).—केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2017-एकीकृत कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 698(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में

निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र.सं.	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्याज की दर	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा।

[फा.सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: मूल अधिसूचना सं. 6/2017- एकीकृत कर, दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 698 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2020

No. 3/2020—Integrated Tax

G.S.R. 242(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (1) of section 50 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue), No. 6/2017 – Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 698(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Class of registered persons	Rate of interest	Tax period	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29th day of June, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
			March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6th day of July, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 6/2017–Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 698(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2020

सं 1/2020- संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 243(अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की

उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 747(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका				
क्र.सं.	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्याज की दर	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा।

[फा.सं.-सीबीईसी 20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: मूल अधिसूचना सं. 10/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 747 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2020

No. 1/2020 – Union Territory Tax

G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (1) of section 50 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2017–Union Territory Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 747(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely: –

“Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in FORM GSTR-3B, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Class of registered persons	Rate of interest	Tax period	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29th day of June, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
			March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6th day of July, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 10/2017–Union Territory Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.747(E), dated the 30th June, 2017.